न्यायालय तहसीलदार/ नायब तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ़

प्रकरण संख्या 34/19

सरकार जरिये पटवारी हल्का

बनाम

जगविन्द्र सिंह पुत्र हरनेक सिंह

जाति जटसिख साकिन 4 KAM निर्णय दिनांक 16/4/19

इस प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं :–

पटवारी हल्का 4 KAM ने इस न्यायालय मं आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि चक 2 KBM के मु. नं. 325/384 के कि. नं. ~~2-530~~ हैै. के कुल 2-530 है. रकबा राज पर जगविन्द्र सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति जटसिख साकिन 4 KAM ने फसल रबी/खरीफ में जिन्स रकबा पर रबी 2019 काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है।

पटवारी के आवेदन को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी प्रारूप में नोटिस जारी किया गया। नोटिस में विनिर्दिष्ट भूमि का अंकन कर, अप्रार्थी से यह आपेक्षा की गई थी, कि वह निर्धारित तिथि तक इस भूमि से अपना अधिभोग हटा लें, अन्यथा उपस्थित आकर ऐसा न करने का कारण बतावें। नोटिस अप्रार्थी पर विहित रिति से तामिल हुआ।

नोटिस के प्रत्युतर में, अप्रार्थी न तो उपस्थित आया और न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। अतः एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार प्रशनगत भूमि रकबा राज है। अतः अप्रार्थी जगविन्द्र सिंह पुत्र हरनेक सिंह को चक 2 KBM के मु.नं. 325/384 के 2-530 है. रकबा राज को इस अतिचार के लिये उस पर भू. राजस्व का 10 गुणा रूपये 202 अखरे रूपये दो सौ दो रुपये मात्र की शास्ती आरोपित किया जाता है भू. अभि. निरीक्षक को पूर्व में फसल कुर्क करने का अन्तरिम आदेश दिये गये थे, उसकी पुष्टि की जाती हैं। भू. अभि. निरीक्षक को आदेश जारी हो कि शास्ती की मांग ढ़ालबाछ में कायम, वसूली करें। तथा अप्रार्थी को उक्त रकबा राज से बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लेवे। T.R.A. के 'घ' रजिस्टर में मांग कायम करावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब व तफसील दाखिल दफ्तर हो।

(निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।)

तहसीलदार (राजस्व)
अनूपगढ़